राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 अगस्त, 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक पत्र लिखकर कानून की समीक्षा करते हुए इसमें गैर-अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश प्रदान किये थे।
- इसकी अनुपालना में राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1952 को संशोधित करते हुए राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 विधेयक लाया गया है।
- इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-cinema-regulation-amendment-bill-2023-passed-by-voice-vote